

कार्यालय, नगरपालिका परिषद, मीरजापुर

सेवा में,
जिलाधिकारी महोदया
जनपद- मीरजापुर

पत्रांक : 779 / सा0 प्र0 / 2023-24

दिनांक 13/12/23

विषय : जनसुनवाई सन्दर्भ सं0- 60000230237584 के सम्बन्ध में।

महोदया,

कृपया श्री एम0पी0 योगी निवासी मुहल्ला सुरेखा पुरम कालोनी श्री लक्ष्मी नारायण बैकुण्ठ महादेव मन्दिर रीवा रोड पोस्ट आफिस संगमोहाल मीरजापुर के द्वारा शिकायत की गयी है कि मुहल्ला लालडिग्गी स्थित लायन्स स्कूल को नगरपालिका द्वारा गरीब बच्चों के लिए उद्यान विकसित करने हेतु भूमि लीज पर दी गयी थी परन्तु यहां पर एक स्कूल का संचालन किया जा रहा है जो एक व्यवसायिक गतिविधि है। नगरपालिका की जमीन रूपया 50/- प्रति वर्ष की दर से आवंटित की गयी है जबकि लायन्स स्कूल की आमदनी खरबों में है।

उक्त के सम्बन्ध में आपको अवगत कराना है कि मुहल्ला लालडिग्गी, मीरजापुर में पालिका भूमि स्थित है जिसका एक पार्ट लगभग 12000 स्क्वायर फिट की जमीन लायन्स क्लब, मीरजापुर को लायन्स स्कूल का संचालन एवं एक उद्यान क्षेत्रीय बच्चों हेतु पालिका द्वारा आवंटित थी जिसकी अवधि वर्ष 2008 में समाप्त हो चुकी है। चूंकि लायन्स क्लब मीरजापुर/लायन्स स्कूल के द्वारा पालिका से हुये समझौते के तहत कार्यवाही न करने आदि कारणों से नवीनीकरण पालिका द्वारा नहीं किया गया। पालिका द्वारा उक्त सम्पत्ति पर कब्जा आदि की वापसी हेतु उनको कई नोटिसें निर्गत हुयी हैं किन्तु लायन्स स्कूल के द्वारा प्रकरण को लेकर मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में एक रिट याचिका दाखिल की गयी है जो अभी अन्तिम निर्णय हेतु विचाराधीन है। मा0 उच्च न्यायालय का निर्णय आते ही उसके अनुरूप कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। वर्तमान समय में कोई कार्यवाही पालिका स्तर से अपेक्षित नहीं है।

भवदीय,



अधिसासी अधिकारी
नगरपालिका परिषद,
मीरजापुर।

कार्यालय, नगरपालिका परिषद, मीरजापुर

पत्रांक 412/सां प्र०/2020-21

दिनांक-09-12-2020

सेवा में,

योगी एन०पी० सिंह
सुरेखापुरम् जबलपुर रोड
संगमोहाल, मीरजापुर
पोस्ट-आफिस
पिन- 231001

विषय: जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित निदेशक, स्थानीय निकाय उ०प्र० गोगती नगर विस्तार, सेक्टर-7, लखनऊ के आदेश पत्र सं०- 9/6018/12/जन सूचना अधिकारी/2019 लखनऊ दिनांक 06.11.2020 के साथ संलग्न अपने पत्र दिनांक 23.09.2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। सन्दर्भित प्रकरण में वांछित सूचना निम्न है :-

क्र० सं०	प्रश्न	उत्तर
1	लायंस स्कूल का निर्माण निर्जापुर नगरपालिका की जमीन में हुआ है और जिसका आय प्रति मन्थ करोड़ों का है और बहुत से सफेदपोसा व भ्रष्ट लोक सेवकों के जेब भरने का काम करता है। श्रीमान् जी पिछले कई वर्षों से लीज समाप्त होने के बावजूद वहाँ नये निर्माण हुए अर्थात् कालेज प्रबन्ध तन्त्र उसे अपनी सम्पत्ति समझता है और इस तरह से लोक सम्पत्ति का दोहन कर रहा है। प्रदेश सरकार का मुखौटा तो बदला लेकिन कार्यशैली वही है, बलिक और खराब हो गयी है।	मोहल्ला लालडिग्गी स्थित पालिका भूमि को लायंस क्लब को 30 वर्ष के लिए लीज पर वर्ष 1960 में स्कूल एवं आम जनता के बच्चों हेतु शिशु उद्यान के निर्माण व उसके देख-भाल हेतु किराये पर दी गयी थी। इस लीज की अवधि वर्ष 2010 में समाप्त हो गयी। लायंस स्कूल के द्वारा लीज की शर्तों के विपरीत कार्य किया गया। लीज की अवधि के दौरान व तो शिशु उद्यान का निर्माण किया गया और न ही आम जनता के बच्चों के लिए खोला गया तथा अवैध निर्माण किया गया। लीज की अवधि वर्ष 2010 में समाप्त होने के बाद ही लायंस क्लब/स्कूल के द्वारा अवैध निर्माण किया गया, जिससे क्षुब्ध होकर पालिका जमीन से लायंस क्लब/स्कूल का कब्जा लिये जाने हेतु पालिका बोर्ड बैठक में दो-दो बार प्रस्ताव पास हुआ जिसकी सूचना नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ को दी गयी, किन्तु शासन के द्वारा लायंस क्लब/स्कूल की अवधि 30 वर्ष के लिए वर्ष 2040 तक बढ़ा दी गयी, जिसके खिलाफ नगरपालिका परिषद, मीरजापुर के द्वारा मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में रिट याचिका सं०- 2456 सन् 2020 लायंस क्लब दनाम नगरपालिका परिषद, मीरजापुर उ० प्र० व अन्य योजित किया गया जो अन्तिम निर्णय हेतु अभी लम्बित है।
2	श्रीमान् जी आप भी जानते ही होंगे कि प्रकरण जो कि मीरजापुर के प्रतिष्ठित लायंस पब्लिक स्कूल जो मीरजापुर के जाने माने धनाढ्यों का जेब भरने का काम कर रहा है, से सम्बन्धित है। उसको प्रश्रय सम्बन्धित अधिकारी ही दे रहे हैं अन्वथा बाकायदा टेण्डर इनवाइट करके लीज सबसे बड़े विल्डर को दी जाती है और सरकार को उससे लाभ होता। श्रीमान् जी के नजरों में क्या यह भ्रष्टाचार नहीं है। पब्लिक प्रार्पटी का दोहन सम्मानत धनाढ्यों द्वारा भ्रष्ट अधिकारियों की मदद से किया जा रहा है। श्रीमान् जी कक्षा 9 रु० 20000/- प्रवेश शुल्क और कक्षा 8 का रु० 10000/- कुछ एप्रोच हुआ तो हजार-दो हजार रुपये कम कर देने।	जहाँ तक लायंस क्लब द्वारा बच्चों के अतिगापकों से एडमिशन के नाम पर डोनेशन के रूप में धन वसूली का कार्य किया जा रहा है, यह उचित नहीं है, किन्तु इसका सम्बन्ध नगरपालिका परिषद, मीरजापुर से नहीं है।

नगदीय,



(ओम प्रकाश)

अधिसासी अधिकारी
नगरपालिका परिषद,
मीरजापुर।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित की सेवा में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- निदेशक, स्थानीय निकाय उ०प्र०, गोगती नगर विस्तार, सेक्टर-7, लखनऊ।
- 2- जिलाधिकारी, जनपद- मीरजापुर।
- 3- एक प्रति सम्बन्धित पत्रायली में।

(ओम प्रकाश)

अधिसासी अधिकारी
नगरपालिका परिषद,
मीरजापुर।

To

**District Inspector of School
District-Mirzapur, PIN Code-231001**

Subject-To cancel the recognition of the Lions school at Laldiggi Mirzapur as its land taken from the municipality Mirzapur city by cheating them quite obvious from the attached communication dated 09/12/2020 Letter number-412 financial year 2020-21 of the executive officer municipality Mirzapur city Mr. Om Prakash.

1-It is submitted before the Honourable Sir that The matter concerns the Lions School managed by a club of rich people known as Lions club located at Laldiggi District Mirzapur, Uttar Pradesh and made on the Land of municipality Mirzapur city charging huge admission fee range between Rs.20000 to Rs.30000.

2-It is submitted before the Honourable Sir that DIOS Mirzapur justifying this huge fee on the ground that it is being charged from the students for three years. Think about the integrity of such DIOS.

3-It is submitted before the Honourable Sir that Land of municipality taken by the Lions club which is club of rich people in the name of children garden for the common children.

4-It is submitted before the Honourable Sir that since the date lease of land was done forty years passed in 2010 but neither children garden was developed nor opened for common children.


5-It is submitted before the Honourable Sir that factual position is that Lions club is carrying out commercial activities in the land, not allowed to lease holder, by taking concerned officers in good faith.

6-It is submitted before the Honourable Sir that municipality Mirzapur city is an autonomous body and it did not provide the land to open the commercial school and construct buildings so how can government recognize such school which is illegal consequently its affiliation must be cancelled in the interest of justice?

Please take action abruptly under intimation to applicant and adopt logistic approach.

Date-27/08/2021

Yours sincerely



Yogi M. P. Singh

Mobile number-7379105911, Mohalla- Surekapuram, Jabalpur Road, District-Mirzapur, Uttar Pradesh, Pin code-231001.

CERTIFICATE OF LAND

APPENDIX VI

File No.....

Date 20.04.2019

Certified that land measuring **5816.24 SQ. Meter** (Area of land in Sq. meters) situated in **MIRZAPUR** (Plot No. (s)/Survey No. (s) Khasra No. (s), at **WEST ROAD, LAL DIGGI MIRZAPUR**. (Name of street/ village, sub Division, district and state) fully described in the schedule mentioned hereinafter, is owned by **NAGAR PALIKA PARISHAD, MIRZAPUR** (Name of owner) in terms of Lease Deed (give details of document/ deed - i.e. sale deed/ perpetual lease deed/ gift deed/ will/ trust deed or other document of title) dated **31.03.1980** executed by **Sub Registrar Mirzapur** Duly registered on **21.04.1980** (date) at Serial No. **1264** in book no. **1**, volume no **940** on page **134 to 140** (complete details of registration) in the **Office of Registrar Mirzapur** (details of registration office). It is certified that the said entire land comprises of a single plot of land.

It is further certified that the owner of the land has leased the said land to **LIONS CLUB** (name of lease) vide lease deed dated. **31.03.1980** for a period of **30** years duly registered on **21.04.1980** (date) at Serial No. **1264** in book no. **1**, volume no. **940** on page no. **134 to 140**. (complete details of registration in the **Office of Registrar Mirzapur** (details of registration office) and the land is still in possession of the lessee.

It is further certified that **LIONS SCHOOL, (WEST ROAD, LAL DIGGI, MIRZAPUR)** . (Name of school with name of street/ village, sub-division and district) is located on the said plot of land.

THE SCHEDULE OF LAND ABOVE REFERRED TO

All that piece and parcel of land measuring **5816.24 SQ. Meters** (area of land in square meters) situated in **MIRZAPUR** [Plot No. (s)/ Survey No. (s)/Khasra No. (s)], at **WEST ROAD, LAL DIGGI, MIRZAPUR** (name of street/ village, sub-division, district and state) and bounded as follows:

North :	WATER WORKS DEPARTMENT.
East :	THE GANDHI PARK
West :	GOVERNMENT ROAD
South :	OFFICE NAGAR PALIKA PARISHAD MIRZAPUR.

Officer (Non- gazetted)
Registration Unit
Central Block
2. Community Centre, Sheron
Prest Vihar, Delhi-110092

DISTRICT MAGISTRATE/ REGISTERING AUTHORITY WITH DESIGNATION

(Name of Officer)

(Name of District)

Note: Strike off whichever is not applicable.

20.4.19 उप निबन्धक
मिर-मीरजापुर

1264

200Rs.



3
12

एव कि नगरपालिका मीरजापुर बहरिये श्री विनाय कृष्ण मल्होत्रा
 प्रशासक नगरपालिका मीरजापुर प्रथम पक्षा, व लायन्स क्लब मीरजापुर बहरिये
 रबीमेषण अग्रवाल पुत्र स्वर्गीय जयराम दास अग्रवाल व अक्षा लायन्स क्लब
 मीरजापुर द्वितीय पक्षा ।

यु द्वितीय पक्षा सोसाइटीय रजिस्ट्रेशन अधिनियम के अन्तर्गत एक
 पञ्जीकृत संस्था है जो अजमेर मीरजापुर में स्थापित/पूर्ण ढंग से सञ्चालित है।
 सेवार्थ सर्व-सहाय एक शिक्षण संस्था (लायन्स स्कूल) तथा लायन्स पार्क
 नामक उद्यान अर्थात् हेतु शहर मीरजापुर में स्थित सातहिंगी का भेदान
 जो अजमेर नामधिये में मणारह के साथ विद्यमान है तथा सड़क के पूर्व जीर
 भाभी पार्क भेदान तथा सञ्जीवमठो के पश्चिम स्थित है परे पर प्रथम पक्षा के
 लो बाहरी है। जोर व प्रथम पक्षा जिले प्रमुख एवं स्थापित में उपरोक्त
 उक्त वि निहित है ने विधानमठ: संसुति प्राप्त करके उक्त पक्षा महादी
 तीस वर्ष निष्ठावित कृता स्वीकार कर लिया है। उक्त पक्षा
 विहित कर्तों से बाह्य एवं अनुबन्धित होकर उसके प्रमाण स्वयं प्रकृत पक्षा
 विहित स्वेच्छापूर्वक निष्ठावित कर देते हैं। १- यह कि पक्षाकृत उपरोक्त

Handwritten signature: R. Rajeshwar Agrawal

Handwritten text:
 M.D. Rajeshwar Agrawal
 Section Officer (Non-gazetted)
 Central Board of Secondary Education
 New Delhi, India.

Printed text:
 Section Officer (Non-gazetted)
 Central Board of Secondary Education
 New Delhi, India.



-: 2 :-

1
 1. Poo. Bhushan Agarwal
 2.

कृपया जिसका विवरण इस पत्र के तहत में वर्णित है और उसके मुद्दे पर
 कालिय अर्द्धनिर्दिष्ट कानून द्वारा उपयोगी एवं कालिय कार्यो हेतु मुबल्लि
 ५० रुपया (पचास रुपया) वार्षिक किराया पर, लायन्स क्लब मीरवापुर
 की तीस वर्षों के लिये पट्टे पर स्वाम्यद्वारा हस्तान्तरित किया जाता है।
 २- यह कि इस पट्टे की अवधि दिनांक ५- २- १९८० से आरम्भ होकर
 दिनांक ५- २- २०१० को समाप्त होगी। किन्तु यदि द्वितीय पक्ष बाह्य ती
 पट्टे की अवधि समाप्त होने के एक माह पूर्व लिखित पत्र द्वारा पट्टे की
 अवधि आगामी तीस वर्षों के लिये बढ़ाने हेतु आवेदन कर सकता है और उस
 रिपोर्ट में प्रथम पक्ष के लिये यह ताजिब होगी कि अन्य बातों का मान्य रहने
 पर पट्टे का नवीनीकरण आगामी तीस वर्षों के लिये कर दी। इस प्रकार के
 विस्तृत अवधि में भी इस पट्टे की शर्तों को लागू होगी। ३- यह कि द्वितीय
 पक्ष उपरोक्त वार्षिक किराया के अतिरिक्त मुबल्लि ५००० रुपया मास
 हजार धमा नबराना प्रथम पक्ष को इस पट्टे के निष्पादन के पूर्व
 जमा करेगा जो किसी भी स्थिति में रिफाउन्ड अवकाश अर्द्धनिर्दिष्ट नहीं होगा।
 ४- यह कि पट्टा मुदा सम्पत्ति पर मूल एवं अथवा नवीनीकृत अवधि तक मास

Section Officer (Affiliation Unit)
 Community Centre,
 Preet Vihar, Delhi-110022

Handwritten text at the top of the page, possibly a title or header, including the number 2220.

8
22.3 00
20.00
2.30





-: 3 :-

उक्त प्रयोजन हेतु द्वितीय पक्ष का किराया वसूल कर १० रुपया पचास रुपया वार्षिक किराया प्रतिवर्ष के प्रारम्भ में अग्रिम प्रथम पक्ष को उदा किया जाएगा जिसका रतीय प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष के अधस्ता के एक में हजारा किया जायेगा। कृ होने पर प्रथम पक्ष को अधिकतर होगा कि १ माह की नोटिस देकर पदा निरस्त कर दे और कलाया धरारा द्वितीय पक्ष की सम्पत्ति से बचत कर लेवे एवं उसकी देयता द्वितीय पक्ष के अधस्ता एवं सम्पत्ति के उपर व्याप्त एवं समाप्त ह्म से रहती। ५- यह कि पदा मुदा सम्पत्ति को द्वितीय पक्ष क्लिती को लिखी पर मुही उठावेगा और न ही जिस प्रयोजनार्थ यह पदा निष्कादित किया जाता है उक्त प्रयोजन से हतर क्लिती दूसरे प्रयोजन में प्रयोग किया जावेगा। कलाया प्रथम पक्ष को द्वितीय पक्ष को नोटिस देकर न सम्पत्तिकरण योग्य कर पदा रह करने का अधिकार होगा। ६- यह कि पदा मुदा सम्पत्ति पर कोई मन्दिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, ठाकुर-द्वारा आदि द्वितीय पक्ष नहीं कायम करेगा और ना कोई धार्मिक मूर्ति ही स्थाई ह्म से स्थापित करेगा। ७- यह कि पदेवारी अधिकार उध्मा उध्मि समाप्त होने पर पर्यन्त को द्वितीय पक्ष सही एवं उच्छी हासत में डीठ कर

Dr. B. B. Bhatnagar, Special Inspector

Handwritten text at the top of the page, possibly a title or header, including the word "Principles" and some illegible characters.

Handwritten text in the upper right quadrant, possibly a date or a specific reference.



0230
11/

Handwritten text in a non-Latin script, possibly Arabic or Persian, located at the top of the page.

Handwritten signature or name, followed by a horizontal line and some illegible text below it.



-: ५ :-

दायीय ताम्बस क्लब, भीरवापुर द्वितीय पदा का रखा। नगरपालिका भीरवापुर यस क्षेत्र अर्थात् की व्यवस्था निःशुल्क करीगी। १०- यह कि उक्त शिशु उद्यान सामकत है प्रतिदिन आवाधारण के भर्षा की सेती के लिये उपलब्ध रहेगा। उद्यान खुली व अन्य होने का समय मौसम के अनुसार ताम्बस क्लब के वक्ष्यत निर्धारित करीगी। ११- यह कि ताम्बस क्लब भीरवापुर द्वितीय पदा पट्टे की अवधि के अन्तर पट्टे वाली भूमि व सम्पत्ति की रत-रत रत-रताव व संचालन नहीं करत और उसे उक्त क्षेत्र या उस उपयोग में नहीं लावे जिसके लिये पदा किया जाता है ही नगरपालिका भीरवापुर प्रथम पदा की अधिकार होगा कि कच्चा वापस से है। उपरोक्त कार्यवाही करने के पूर्व ६ माह की नोटिस द्वितीय पदा की देना आवश्यक होगा। उक्त यह पदा कृतियत महापदी तीस वर्ष स्पेच्छा पूर्वक तिसदिया कि सज रहे व वक्त करस पर काम जावे।

पदा हुआ सम्पत्ति स्थित पुस्तता सावडिगी तल भीरवापुर की चीकडी :-

पूरम - गा-डी पार्क मैदान, पार्क रोड तथा नगरपालिका द्वारा संचालित सञ्ची मण्डी,

परिषद- १६ फीट चौड़ा सड़क सरकारी,

उक्त :- क्ल क्ल विभाग,

दक्षिण- नरवी का केंद्र (Non-gazetted) (Affiliation Unit)

पेमाहस सकेत मानचित्र में धरित है जो इस पट्टे का कुल समकत जावेगा। नोटि-पिन ३ के अन्तर्गत पेमाहस केंद्र धरित है जो सही है।

सफरी धरित ३१ मार्च स १९८० रोज

मसयिदा किया भी लिक्जुहाय गुप्त सञ्चीक भीरवापुर।

टाक्षम किया हीरासात आयवनात साभि मरला

पैटील राहटर साहचन्स नं० ५।२

Handwritten signature and text on the left margin.

P. Poo Bheslam Agrawal

P. Poo Bheslam Agrawal

Handwritten signature on the right margin.

ॐ श्री गणेशाय नमः
 ॐ श्री गणेशाय नमः
 ॐ श्री गणेशाय नमः



ॐ